अधिसूचना सं. 57/2014 [एफ.सं.वी.27015/1/2014-एसओ (NAT.COM)]/एसओ 3005 (ड़), दिनांक 27-11-2014

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, इसके द्वारा उक्त राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित संस्थानों को, जो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में वर्णित हैं, अधिसूचित करती है, और उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली योग्य परियोजनाओं या योजनाओं और उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है जैसा कि उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित है, और तालिका के कॉलम (4) में अनुमोदन की अवधि के लिए उक्त धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमतित ऐसी लागत की अधिकतम राशि भी निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्रम सं.	*संस्थान का नाम*	*परियोजना या योजना और उसकी अनुमानित लागत*	*धारा 35कग और अनुमोदन की अवधि के तहत कटौती के रूप में अधिकतम लागत की अनुमति दी जाएगी*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	द मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन, एमएमटीए रोड, खमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल - 795001 - मणिपुर		'एडवेंचर और इको टूरिज्म पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट'	2014-15 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों के लिए रु.5.00 करोड़, अर्थात्, 2014-15, 2015-16 और 2016-17

II. यह अधिसूचना उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित परियोजनाओं या योजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

■■